छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा   नवम् सत्र   अंक-19

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2012

(चैत्र-14, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04 से 10, 12, 13, 15 एवं 16 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 03, 11 एवं 14 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री जयसिंह अग्रवाल, डॉ.सुभाऊ कश्यप एवं श्री अजीत जोगी अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री नंदकुमार पटेल के स्थान पर डॉ.शक्राजीत नायक अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 19 तारांकित एवं 45 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. वक्तव्य

(1) श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य मंत्री ने दुर्ग जिला अस्पताल में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत उपचार कराने वाले रोगियों की आंखों में संक्रमण पाये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया। श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

(2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कपड़ा एवं शक्कर पर प्रस्तावित वेट को वापस लिए जाने के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने -

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए -

(i) (राज्य वित्त) (प्रतिवेदन क्रमांक 1) छत्तीसगढ़ शासन,

(ii) (सिविल एवं वाणिज्यिक) (प्रतिवेदन क्रमांक 2) छत्तीसगढ़ शासन,

(iii) (राजस्व प्राप्तियां) (प्रतिवेदन क्रमांक 3) छत्तीसगढ़ शासन, तथा

(2) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011,

पटल पर रखा।

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित सेन्ट्रल हॉल में आज, मंगलवार, दिनांक 03 अप्रैल 2012, को अपराह्न 1.00 बजे माननीय सदस्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में विद्युत ऊर्जा पर केन्द्रित पॉवर पाईंट प्रजेन्टेशन दिया जाएगा।

(2) छत्तीसगढ़ विधानसभा आवासीय परिसर में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दोपहर 2.00 बजे किया जाएगा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ एवं कोरबा जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन होने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री गुरुमुख सिंह होरा, सदस्य ने धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अछोटा में तालाबों के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) श्रीमती सुमीत्रा मारकोले
(2) श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी
(3) श्री संतोष बाफना
(4) श्री ताम्रध्वज साहू
(5) श्री ह्दयराम राठिया
(6) श्री रामदेव राम
(7) श्री ब्रम्हानंद
(8) श्री फूलचंद सिंह
(9) श्रीमती कुमारी मदन साहू
(10) श्री विरेन्द्र कुमार साहू
(11) श्री लक्ष्मी बघेल
(12) श्री देवजी पटेल
(13) श्री भोलाराम साहू
(14) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

अपराह्न 12.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 4 अप्रैल, 2012 (चैत्र 15, शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा